भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 4213
20 दिसंबर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

डायलिसिस इकाइयां खोलना

4213. श्री राहुल कस्वां:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले और उपचार का खर्च वहन न कर सकने वाले रोगियों को निःशुल्क डायलिसिस सुविधाएं प्रदान करने के लिए देश भर के जिला अस्पतालों में डायलिसिस इकाइयां खोलने के लिए कोई नीति तैयार की है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को इस संबंध में राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो राजस्थान सहित तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ग) आज की तिथि तक राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार कितने स्वीकृत/लंबित प्रस्ताव हैं और इसके लिए कितनी धनराशि आवंटित/उपयोग की गई है;

(घ) लंबित प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति प्रदान किए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या देश में हृदय और कैंसर की बीमारियों से पीड़ित लोगों की मृत्यु दर तेजी से बढ़ रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (घ): वर्ष 2016-17 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम (पीएमएनडीपी) को जिला अस्पतालों में इन-हाउस मोड/सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड में क्रोनिक किडनी रोग (सीकेडी) के रोगियों के लिए शुरू किया गया था। देश में गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) जीवनयापन करने वाले सभी लाभार्थियों को डायलिसिस सेवाएं निःशुल्क प्रदान की जाती हैं। कार्यक्रम के तहत हेमोडायलिसिस सेवाएं प्रदान की जाती हैं। वर्ष 2020 के बाद से पेरिटोनियल डायलिसिस भी इसमें शामिल कर लिया गया है।

दिनांक 30 नवंबर 2024 की स्थिति के अनुसार, पीएमएनडीपी को सभी 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 748 (50 आस-पास के जिलों से जुड़े) जिलों में 1558 केंद्रों पर 10824 हेमो-डायलिसिस मशीनों और कुल 311.23 लाख हेमो-डायलिसिस सत्रों के साथ लागू किया गया है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार आबंटित/उपयोग की गई निधि का विवरण अनुलग्नक-**I** में दिया गया है।

(ङ) और (च): भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय कैंसर पंजीकरण कार्यक्रम (आईसीएमआर-एनसीआरपी) के अनुसार, पिछले पांच वर्षों (2019-2023) के दौरान देश में कैंसर के मामलों की अनुमानित मृत्यु दर निम्नानुसार है:

कैंसर के मामलों और मृत्यु दर की अनुमानित मृत्यु दर **(2019-2023) -** दोनों लिंग के लिए					
वर्ष	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
भारत में कैंसर के मामलों की अनुमानित मृत्यु दर	7,51,517	7,70,230	7,89,202	8,08,558	8,28,252

अनुलग्नक-I

वर्ष 2020-21 से वर्ष 2023-24 के दौरान पीएमएनडीपी के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार एसपीआईपी अनुमोदन/व्यय (रुपये लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2021-22		2022-23		2023-24	
		एसपीआईपी अनुमोदन	व्यय	एसपीआईपी अनुमोदन	व्यय	एसपीआईपी अनुमोदन	व्यय*
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	-	-	-	-	8.5	-
2	आंध्र प्रदेश	4,934.42	3,592.73	5,307.87	4,061.58	5,680.55	5,143.70
3	अरुणाचल प्रदेश	150.76	263	611.66	405.9	728.99	93.98
4	असम	859.01	801.84	1,715.75	1,587.45	1,985.98	2,100.71
5	बिहार	2,962.57	907.13	3,112.37	2,597.89	3,521.01	1,144.30
6	चंडीगढ़	28	1.44	4	0.02	4.25	0.13
7	छत्तीसगढ़	768.48	188.1	1,182.40	617.78	1,225.48	395.81
8	दादरा एवं नगर हवेली दमन और दीव	-	-	2.22	-	2.22	-
9	दिल्ली	2,010.00	429.29	703.84	416.76	709.03	511.14
10	गोवा	1,064.32	198.33	1,247.32	937.74	1,234.32	443.04
11	गुजरात	3,267.50	2,000.00	4,308.05	1,869.73	4,280.60	6.13
12	हरियाणा	350	199.24	337.95	243.71	337.95	103.91
13	हिमाचल प्रदेश	200	125.11	291.5	10.78	309.5	7.5
14	जम्मू एवं कश्मीर	562.71	302.69	303	67.57	768.6	20.36
15	झारखंड	18.5	-	826.76	324.04	674.56	139.89
16	कर्नाटक	4,554.00	2,971.88	7,735.07	3,413.39	6,604.02	2,938.02
17	केरल	947.3	3.19	1,522.36	401.89	1,024.14	440.99
18	लद्दाख	100.06	55.12	204.86	89.71	194.06	36.14
19	लक्षद्वीप	14	-	18.7	-	19.64	2.54
20	मध्य प्रदेश	1,063.73	599.92	1,965.30	1,704.39	3,073.97	542.3
21	महाराष्ट्र	247.88	16.8	2,516.93	466.76	1,488.39	350.36
22	मणिपुर	444.74	15	563.33	334.05	568.83	152.59
23	मेघालय	63.36	-	65.07	74.31	50.05	24.22
24	मिजोरम	6.54	-	49.01	-	40.95	0.37
25	नगालैंड	199.2	101.37	247.28	133.24	208.53	138.37
26	उड़ीसा	2,377.10	1,908.10	2,413.73	2,202.31	3,317.57	1,456.89
27	पुदुचेरी	81.4	24.49	107.2	44.36	105.1	4.82
28	पंजाब	267	22.82	185.14	58.97	196.29	58.2
29	राजस्थान	1,267.40	409.71	877.31	213.12	877.31	113.38
30	सिक्किम	206.03	-	98.5	31.06	14.83	73.51
31	तमिलनाडु	3,644.85	1	966.32	1,226.81	1,224.30	583.64
32	तेलंगाना	-	-	64.74	2.38	54.95	10.33
33	त्रिपुरा	73.14	45.53	210.41	86.05	202.85	65.66
34	उत्तर प्रदेश	-	4,240.16	8,097.37	5,613.32	11,691.30	3,474.67
35	उत्तराखंड	280	117.64	259.74	78.02	263.26	41.02
36	पश्चिम बंगाल	4,568.13	2,480.82	6,586.68	5,276.15	7,248.67	1,497.11
	कुल	**37,582.13**	**22,022.45**	**54,709.74**	**34,591.24**	**59940.55**	**22,115.73**

नोट: उपरोक्त डेटा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत वित्तीय प्रबंधन रिपोर्ट (एफएमआर) के अनुसार है। *व्यय दिनांक 31.12.2023 तक अद्यतन किया गया है।

******